सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 201 राँची, सोमवार, 6 चैत्र, 1938 (श०) / 27 मार्च, 2017 (ई०)

योजना-सह-वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

संकल्प

17 मार्च, 2017

विषय : **जल संसाधन विभाग द्वारा Long Term Irrigation Fund (LTIF) के तहत् सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से राज्यांश के रुप में 75684.00 लाख रुपये नाबार्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में ऋण आहरण की स्वीकृति के संबंध में ।**

संख्या : अर्थोपाय (30)-08/2014/164/बजट-- राज्य में Long Term Irrigation Fund (LTIF) के तहत् सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का कार्यान्वयन जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाना है, जिसमें नाबार्ड से ऋण स्वीकृति की प्रत्याशा में मंत्रिपरिषद से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में निम्न शर्त्तों के साथ नाबार्ड से ऋण आहरण करने का निर्णय लिया जाता है :-

2. परियोजना की कुल लागत 189210.00 लाख रुपये है, जिसमें नाबार्ड से राज्यांश के रुपे में 75684.00 लाख रुपये एवं केन्द्रांश का हिस्सा 113526.00 लाख रुपये शामिल है ।

3. ऋण के सामान्य एवं विशेष शर्त्तें State of Jharkhand, NABARD, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation and National Water Development Agency, GoI के बीच दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 के Memorandum of Agreement में अंकित है। इसका अनुपालन जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायगा ।

4. नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण प्राप्त करने के लिए योजना का त्रैमासिक व्यय प्रतिवेदन प्रशासी विभाग द्वारा सांस्थिक वित्त प्रभाग, योजना-सह-वित्त विभाग के माध्यम से योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को समर्पित किया जायेगा, जिसके आधार पर नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण किया जायेगा। ऋण की मूल राशि एवं इसपर देय ब्याज राशि का भुगतान योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा की जायेगी, जिसके लिए वित्तीय बजट का प्रावधान किया जायेगा । योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 40000.00 लाख रुपये नाबार्ड से ऋण के रूप में आहरण किये जायेंगे ।

5. जल संसाधन विभाग NABARD LTIF से संचालित योजना का अपनी website पर प्रारम्भ से अद्यतन की स्थिति संधारित करेगा ।

6. चालू (on going) योजना की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति जल संसाधन विभाग, विभागीय website पर update करेगा ।

7. जल संसाधन विभाग निर्माण गुणवत्ता का स्वतंत्र evaluator से भी monitoring करायेगा तथा विशेष ध्यान देगा एवं इसे भी website पर update करेगा ।

8. संबंधित बहुउद्देशीय परियोजना के क्षेत्र जल संसाधन विभाग के स्वामित्व में नहीं हो तो संबंधित विभागों से स्वामित्व प्राप्त कर, Defect-Liability period के बाहर हो तथा नये Tender के अनुरूप इसका कठोरता से पालन किया जाय ।

9. यह संकल्प विभागीय संलेख 153/बजट दिनांक 14 मार्च, 2017 पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 के मद सं०-15 के रूप में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमित खरे,
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 201--50